उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज सरूपी.....बनाम.....छोटया वगैरा बनाम मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 12–9–19

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी बहस के लिये समय चाहते हैं। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13–9–19 को पेश हो। तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि बढाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 13–9–2019

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गयी । पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 23–9–19 को पेश हो। तब तक अस्थाइ निषेधाज्ञा की अवधि बढाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 23–9–19

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।

सायलान के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम महवा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 85 रकबा 0.93 हैक्टयर सायलान व प्रतिवादी संख्या 1 की सह खातेदारी की आराजी है जिसका आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है। विधिवत विभाजन के बिना खातेदारो के मध्य आपसी विवाद होता रहता है। गैरसायलान से विधिवत विभाजन करवाने को कहा तो इन्कार कर दिया इसलिये वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना जरूरी हुआ है। सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरूपी बनाम छोटया वगैरा मु. सं.
	गैरसायलान की ओर से जबाब इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि खातेदारों ने आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है तथा उसी के अनुसार काबिज है। खातेदारान ने अपने अपने हिस्सा की आराजी मे मकान बना लिये है। गैरसायलान के हिस्सा में बोरिग हो रही है जिससे गैरसायलान सिंचाई करते चले आ रहे है। गैरसायलान की हिस्सा की आराजी से सायलान का कोई संबंध नहीं है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे। हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम महवा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 85 रकबा 0.93 हैक्टयर सरूपी पत्नि स्व. सम्पत रामजीलाल किशन सावलियां राधेश्याम पि. सम्पत हि. 1/2, छोटया पुत्र नत्थू हि.1/2 जाति माली निवासी महवा की सहखोदारी में दर्ज रिकार्ड है। इससे यह तो प्रमाणित होता है कि सायलान व गैरसायल संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अंकित किया है कि खातेदारान ने आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है। [illegible] [illegible]